

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 4707 द्वारा श्रीलखन श्रीलखन घनघोरिया

प्रपत्र-अ

विषय:-एन.एच. 12 पर पौधा रोपण ।

स क्र	मार्ग का नाम	ठेकेदार/ कंपनी का नाम	पेड़ों की कटाई की स्वीकृति		कटाई किये गये पेड़ों की संख्या	कहाँ से कहाँ तक	कटाई की अवधि (दिनांक से दिनांक तक)	संग्रहण का स्थान	प्रजातिवार लकड़ी की मात्रा		भौतिक सत्यापन		रिमार्क		
			पेड़ों की संख्या	कब दी गई					किन शर्तों पर स्वीकृति	प्रजाति	लकड़ी की मात्रा (घ.मी.)	किसने किया		दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	जबलपुर से हिरन नदी तक मार्ग का पुर्नविकास और उन्नयन एन-एच-12 (न्यु एन-एच-नम्बर 45) किमी 10.400 से किमी 66.000 तक (डिजाइन लंबाई 55.600 किलोमीटर)। एनएचडीपी-III के तहत ईपीसी मोड पर (पैकेज-1)	मेसर्स एम-बी-एल-इन्फ्रास्ट्रक्चर लि- न्यू-दिल्ली	6435	कलेक्टर जबलपुर का आदेश पारित दिनांक 27.06.2016	1) आदेश क्रमांक 4/अ-62/2015-16 परित दिनांक 27.06.2016 की शर्तानुसार 2) संशोधित आदेश दिनांक 30.03.2017 (दोनो आदेशों की छायाप्रति संलग्न)	1117	किमी 11/4 से किमी 48/8 तक	02.02.17 से 24.06.17 तक	फारेस्ट डिपो शहपुरा जिला जबलपुर एवं फारेस्ट निस्तार डिपो चरगवां जिला जबलपुर	आम बबूल कोहा इमली बरगद रिमझा नीम महानीम सतकटा पीपल सेमरा	351.42 517.31 370.709 186.631 4.56 1.686 3.75 7.2 41.794 52.875 18.573	मे- आई-सी-टी- (स्वतंत्र इंजीनियर) से] श्री वीरेन्द्र लाल (सर्वेयर) एवं श्री शैलेन्द्र शुक्ला (लैब टेक्नीशियन)	02.02.17 से 24.06.17 तक	01.05.18 से 30.06.19 तक	[25/3/2021]

